सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 03, मंगलवार, *शाके* 1946-अप्रेल 23, 2024 *Vaisakha 03, Tuesday , Saka 1946- April 23, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-12) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 23, 2024

संख्या प.9(2)गृह-12/कारा/2023 :-यत् यह राज्य सरकार कारागार अधिनियम 1894 (केन्द्रीय अधिनियम 9, सन् 1894) की धारा 3 की उप धारा (1) एवं राजस्थान कारागार नियम, 2022 के नियम-3 (ze) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला डूंगरपुर की तहसील-डूंगरपुर में नवनिर्मित जिला कारागृह भवन जो तहसील-डूंगरपुर के ग्राम-तीजवड़ के खसरा नं. 931 (नया) 901/778 (पुराना) की कुल 25 बीघा (4.05 है0) भूमि (लगभग 40,500 वर्ग मीटर) जिसके उत्तर दिशा में मुख्य सड़क, दक्षिण दिशा में छात्रावास, पूर्व दिशा में जिला परिवहन कार्यालय, डूंगरपुर, पश्चिम दिशा में लोकबन्धु सोमपुरा है पर मेनवॉल के अन्दर 17,944 वर्गमीटर भूमि पर नवीन जिला कारागृह भवन निर्मित किया गया है। इस क्षेत्र को राज्य सरकार एतद्द्वारा स्थाई जेल घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

अपर्णा गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।